कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com & dfo-hazaribaghwest@gov.in

पत्रांक 906 / दिनांक 10/3/2022

सेवा में,

अधिक्षण अभियंता (वि0)
टी0एस0सी–IV,
दामोदर घाटी निगम,
हजारीबाग।

विषय:– डी0भी0सी0 हजारीबाग (सिंदूर) सब– स्टेशन से पूर्व– मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के टी0एस0एस0 अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/JH/TRANS/120412/2021 तक 132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 10.106 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 81 दिनांक 25.01.2021 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत 132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन में अपयोजित होने वन भूमि का ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रस्ताव समर्पित किया गया है। समर्पित प्रस्ताव की जांच में कई त्रुटियां एवं आवश्यक अभिलेख संलग्न नहीं है। जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

(1) डी0भी0सी0 हजारीबाग (सिंदूर) सब– स्टेशन से पूर्व– मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के टी0एस0एस0, हजारीबाग, जिला – हजारीबाग तक 132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 10.106 हे0 प्रस्तावित प्रस्ताव के भूमि विवरणी को प्रण्मडलीय अभिलेख से मिलान करने पायी गयी जो निम्नवत है :–

क्र0सं0	मौजा	थाना एवं थाना संख्या	प्लॉट संख्या	अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि की लम्बाई (मी0)	अधिसूचित वन भूमि की लम्बाई (मी0)	जंगल झाड़ी लम्बाई (मी0)	कुल वन भूमि (मीटर)
1	नगवां	हजारीबाग–165	2076	–	276.00	–	276.00
2	नगवां	हजारीबाग–165	2078	405.00	95.00	–	500.00
3.	नगवां	हजारीबाग–165	2108	90.00	–	–	90.00
4	मंडईखुर्द	हजारीबाग–163	390	20.00	570.00	–	590.00
5	मंडईखुर्द	हजारीबाग–163	3202	–	65.00	–	65.00
6	मंडईखुर्द	हजारीबाग–163	582	–	267.00	–	267.00
7	मंडईखुर्द	हजारीबाग–163	806	–	168.00	–	168.00
8	अलगडीहा	हजारीबाग–79	2	–	81.00	–	81.00
9	हरीना	कटकमसांडी – 74	2623	–	308.00	–	308.00
10	छड़वा	कटकमसांडी – 76	3	–	206.00	–	206.00
11	छड़वा	कटकमसांडी –	1046	–	92.00	–	92.00

		76					
12	मायापुर	कटकमसांडी – 75	1931	86.00	4.00	–	90.00
13	गदोखर	कटकमसांडी – 81	1171	–	–	236.00	236.00
14	गदोखर	कटकमसांडी – 81	1171	–	–	80.00	80.00
		कुल –		601.00	2132.00	316.00	3049.00

उक्त अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि का क्षेत्रफल – 1.6227 हे0, अधिसूचित वन भूमि का क्षेत्रफल –5.7564 हे0 एवं जंगल झाड़ी भूमि का क्षेत्रफल – 0.8532 हे0 तथा मंडईकला गैर वन भूमि मौज का क्षेत्रफल – 0.6075 हे0 कुल अपयोजित वन भूमि का रकवा – 8.8398 हे0 है।

मौजा मंडईखुर्द, थाना – हजारीबाग, थाना संख्या – 163 प्रस्तावित मानचित्र में दर्शाये गए प्लॉट संख्या 3202 भूमि विवरणी में दर्ज नहीं किया गया है। एवं मौजा मेरावल , थाना– हजारीबाग, थाना संख्या 161 हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल के क्षेत्राधीन अंतर्गत अपयोजित होगा है।

(2) अपयोजित होनी वाली वन भूमि से संबंधित उपायुक्त, द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 का प्रमाण – पत्र एवं इस क्रम में हुई ग्राम सभा की बैठक की कार्रवाई की प्रति अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।

(3) विषयगत ट्रांसमिशन लाईन में प्रभावित गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का सक्षम स्तर से निर्गत अनापति प्रमाण –पत्र संलग्न संलग्न किया जाय।

(4) विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के क्रम में वन्य प्राणी आश्रयणी/ Eco Sensitive Zone, Tiger Project एवं जैविक उद्यान का भाग पडता है या नहीं से संबंधित बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।

(5) ट्रांसमिशन लाईन में अपयोजित होने वाले वन भूमि का Geo-referenced Boundary map (in shape file) मौजावार लगातार नहीं दर्शाया गया है, जिससे वन भूमि, जंगल–झाड़ी और अन्य वन भूमि में पडने वाले का कुल लम्बाई और रकवा ज्ञात नहीं हो पा रहा है, जिसे सुधारकर संशोधित shape file समर्पित किया जाय।

(6) संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का ग्रामवार, खसरावार भूमि का विवरणी छाया प्रति संलग्न है, जो कुछ प्लॉट अपठनीय है। तथा संलग्न पृष्टों में अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। उक्त भूमि विवरणी मूल प्रति समर्पित किया जाए, ताकि गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि एवं गैर वन भूमि का लैण्ड सिडूल से मिलान किया जा सके।

(7) विषयांकित परियोजना के प्रस्ताव में प्रभावित वृक्षों की संयुक्त गणना सूची प्रजातीवार/ग्रामवार/थानावार/प्लॉटवार/गर्थवार/डायावाईज में दिया जाय।

(8) झारखण्ड सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आदेश संख्या–05/स0भू0 लातेहार (विविध)–181/18 (छाया संचिका), 4715 व0प0, रांची, दिनांक 27.11.2018 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के क्रम में प्रपत्र –1 में उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र– 2 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित बचनबद्धता प्रमाण पत्र संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।

(9) ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चयनित तीन वैक्लपिक मार्ग (3 Alternate Route Alignment) को 1:50000 के स्केल पैमाना मूल प्रति (टोपो सीट) पर दर्शाते हुए समर्पित कियां जाय। तथा सरांश में अलग–अलग रंग से भी दिखाया जाय।

(11) प्रस्ताव के साथ NO Labour Camping, install की बाध्यता का बचनब़ता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।

(12) प्रस्ताव के साथ वन भूमि / जंगल –झाड़ी भूमि से गुंजरने वाली लाईन की लम्बाई से संबंधित विवरणी संलग्न किया जाय।

(13) प्रस्ताव के साथ गैर वन भूमि / जी0एम0 भूमि से गुंजरने वाली लाईन की लम्बाई से संबंधित विवरणी संलग्न किया जाय।

(14) प्रस्ताव में अपयोजित होनी वाली वन भूमि का दो गुणा अवकृष्ट वनों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु चयनित स्थल का DGPS Map हार्ड प्रति एवं सॉफ्ट प्रति संलग्न किया जाय।

अतः प्रस्ताव के सभी आठ प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस किया जाता है। अनुरोध है कि उपरोक्त इंगित त्रुटियों का निराकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित करने की कृपा की जाय।, ताकि प्रस्ताव पर अतिशीघ्र अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

10/03/22

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल